संख्या-63/2017/1051(2)/सैंतीस-2-2017-1(31)/03टीसी

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-16 अगस्त, 2017

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में डिजीज फ्री जोन की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-142/सा0-1/एक्स-160/एफ.एम.डी.-सी.पी.(सामान्य)/2017-18, दिनांक-02.08.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-57/2017/1051/सैंतीस-2-2017-1(31)/03टीसी, दिनांक-27.07.2017 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में डिजीज फ्री जोन की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में कुल रू0-2581.985 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ इक्यासी लाख अठ्ठान्नबे हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश संख्या-57/2017/1051/सैंतीस-2-2017-1(31)/03टीसी, दिनांक-27.07.2017 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तद्नुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-63/2017/1051(3)/सैंतीस-2-2017- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in